जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 126 / 2023
GCMS No.2023/351

1. प्यारेलाल पुत्र रामचन्द्र
2. ईश्वर सिंह पुत्र रामचन्द्र
3. इन्द्रसिंह पुत्र रामचन्द्र
4. अनूपसिंह पुत्र रामचन्द्र
5. रामफल पुत्र ताराचन्द नवीरा भगवाना
6. कृष्ण कुमार पुत्र कन्हीराम नवीरा भगवाना
   जाति जाट निवसी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....वादीगण

ब–ना–म

1. राजस्थान सरकार पुर्नवास विभाग जरिये जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं।
2. तहसीलदार, खेतड़ी।

.....प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: दिनांक : 16/12/25

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि गत ख.नं. 806 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा का एकांकी खातेदार टेका वल्द पूरन जाट संवत् 1999 पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे थे। टेका वल्द पूरन जाट एवं वादी सं. 1 लगायत 4 के दादा व वादी सं. 5, 6 के परदादा हरिराम का सगा भाई था। टेका वल्द पूरन जाट नाऔलाद फौत हो गया इसके फौत होने के बाद वादीगण सं. 1 लगा. 4 का पिता व वादी सं. 5, 6 का दादा भगवाना उपरोक्त भूमि पर काबिज काश्त हो गये जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2012 में दर्ज रिकार्ड है। टेका वल्द पूरन ने काफी मेहनत करके उक्त को काश्त के योग्य बनाया है और गत 100 वर्षों से भी अधिक समय से पीढी दर पीढी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं और आज भी वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण के पूर्वज भगवाना, रामचन्द्र पिता हरिराम जाट संवत् 2012 से 2026 तक जमाबन्दी में भी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है एवं नामांतरकण संख्या 86 द्वारा धारा 19 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत पटवारी रिपोर्ट पर संशोधन किया गया इस नामांतरकरण में भी वादीगण के पूर्वज भगवाना और रामचन्द्र पुत्रान हरिराम जाट ख.नं. 806 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण व वादीगण के पूर्वज गत 100 वर्षे से भी अधिक समय से गत ख.नं. 806 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा पर निरन्त काबिज काश्त रहे हैं और आज भी काबिज काश्त है और काफी मेहनत करके भूमि को काश्त के लिए तैयार किया है। राजस्थान सरकार व तहसीलदार ने बिना वादीगण के पूर्वज रामचन्द्र व भगवाना को नोटिस दिये उपरोक्त वर्णित भूमि को महकमा कस्टोडियन

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

दर्ज कर दिया जबकि बिना वादीगण को नोटिस दिये और सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित कर नामांतरकरण सं. 170 दर्ज किया है। वह नामांतरकरण की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध जिसे निरस्त करवाकर खातेदारी की घोषणा करवाने का वादीगण को अधिकार है। दौराने पैमाईश गत ख.नं. 806 के हाल ख.नं. 309 रकबा 0.58 है., ख.नं. 310 रकबा 0.39 है. बनाये गये एवं मेहाड़ा जाटूवास गांव से नया राजस्व ग्राम बनने पर संवत् 2046–49 के दौरान हाल ख.नं. 176 रकबा 0.58 है., ख.नं. 177 रकबा 0.39 है. निर्मित किये गये। वर्तमान में हाल ख.नं. 176 रकबा 0.58 है., ख.नं. 177 रकबा 0.39 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.97 है. ग्राम मेहाड़ा जाटूवास में सिवायचक पुर्नवास विभाग के नाम से दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार ने उपरोक्त वर्णित भूमि को राज सरकार की सिवायचक भूमि मानते हुए वादीगण को 2010–2011 में धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के नोटिस दिये जिस पर वादीगण ने चालान नंबर 598, 599, 600 दिनांक 21.02.2011 को 500–500 रूपये पैनल्टी के रूप में जमा करवाये। वादीगण को ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल ख.नं. 176 रकबा 0.58 है., ख.नं. 177 रकबा 0.39 कुल किता 2 कुल रकबा 0.97 है. में वादीगण सं. 1 लगायत 4 को 1/2 हिस्से का एवं वादी सं. 5 व 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने का वादीगण को कानूनन अधिकार है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 176 रकबा 0.58 है. व ख.नं. 177 रकबा 0.39 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.97 है. में से वादी सं. 1 लगा. 4 को 1/2 हिस्से का व वादी सं. 5 व 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्रांक : टी. आर.ए./2024/9 दिनांक 04.01.2024 से रिपोर्ट भिजवाई है जो निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 176 रकबा 0.58 है. व खसरा नंबर 177 रकबा 0.39 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.97 है. जो वर्तमान में खाता संख्या 316 में सवियचक पुर्नवास विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है, के खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत पटवार हल्का मेहाड़ा जाटूवास से उक्त भूमि (स्थल/साईट) पर विद्यमान कुआ, पेड़ एवं स्थायी संरचना की रिपोर्ट ली गई। मुताबिक पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर कोई कुआ नहीं है खसरा नंबर 176 में 11 पेड़ नीम शीशम कीकर, 25–30 पेड़ फलदार वृक्ष बील, अनार, अमरूद आदि एवं खसरा नंबर 177 में कोई पेड़ नहीं है खसरा नंबर 176 में रामफल पुत्र तराचन्द नवीरा भगवाना व कृष्ण कुमार पुत्र कन्हीराम नवीरा भगवाना आदि ने 0.07 है. में पक्का निर्माण कर रखा है एवं ख.नं. 177 में रामचन्द्र के वारिशान प्यारेलाल, ईश्वर, इन्द्रसिंह, अनूपसिंह आदि ने 0.05 है. में पक्का निर्माण कर रखा है कोई निर्माण दिनांक 22.03.2018 से पूर्व का नहीं है अतः नियमानुसार 41 पेड़ों का अनुमानित अधिकतम मूल्य 10,000/–रूपये भू–राजस्व मद 0029–00–800–12–00 अन्य मद एवं रकबा 0.97 है. भूमि की डी.एल.सी. दर 12,02,707 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर कुल 11,66,626 रूपये की 10 प्रतिशत राशि 1,16,663 रूपये भू–राजस्व मद 0029–00–105–01–00 सरकारी सम्पदाओं की बिक्री में जमा राजकोष किया जाकर दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती कार्यवाही किया जाना उचित होगा। उक्त रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट पटवार मण्डल मेहाड़ा जाटूवास मय नजरी नक्शा भी भिजवायें है जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सं. 316 (प्रदर्श–1) ग्राम मेहाड़ा जाटूवास, फोटो प्रति खतौनी खातेदार मौजा मेहाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

जाटूवास, जमाबन्दी संवत् 2012–2015, फोटो प्रति नामांतकरण सं. 86, जमाबन्दी संवत् 2018–2021, संवत् 2026, फोटो प्रति नामांतकरण, मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति चालान सं. 598, 599, 600 दिनांक 21.02.2011, नकल जमाबन्दी संवत् 2012–15 (प्रदर्श–2), संवत् 2014–2016 (प्रदर्श–3), संवत् 2018–29, संवत् 2018–29 (प्रदर्श–5), संवत् 2030–33 (प्रदर्श–7), नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–8), नकल मिसल हैकियत संवत् 2043 (प्रदर्श–9), नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–10) पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र अनूप सिंह पुत्र रामचन्द्र (पी.डब्ल्यू.–1) भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि गत ख.नं. 806 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा का एकांकी खातेदार टेका वल्द पूरन जाट सा.देह की खातेदारी में संवत् 2012 में दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है, उसके बाद गत ख.नं. 806 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा संवत् 2012–2015 में भगवाना रामचन्द्र पि. हरीराम जाट की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध विभाग की पैमाईश के दौरान भूमि गत् खसरा नंबर 806 मी. से खसरा नंबर 309, 310 निर्मित हुए। भूमि गत् खसरा नंबर 309, 310 से हाल खसरा नंबर 176, 177 निर्मित हुए हैं जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध खसरा मिलान क्षेत्रफल से होती है। पैमाईश के दौरान भूमि गत् खसरा नंबर 806 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कस्टोडीयन विभाग के नाम दर्ज करदी गई तथा वर्तमान में खसरा नंबर 176, 177 ग्राम मेहाड़ा जाटूवास में सिवायचक पुनर्वास विभाग की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि बाबत राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर कोई कुआ नहीं है खसरा नंबर 176 में 11 पेड़ नीम शीशम कीकर, 25–30 पेड़ फलदार वृक्ष बील, अनार, अमरूद आदि एवं खसरा नंबर 177 में कोई पेड़ नहीं है खसरा नंबर 176 में रामफल पुत्र तराचन्द नवीरा भगवाना व कृष्ण कुमार पुत्र कन्हीराम नवीरा भगवाना आदि ने 0.07 है. में पक्का निर्माण कर रखा है एवं ख. नं. 177 में रामचन्द्र के वाारिशान प्यारेलाल, ईश्वर, इन्द्रसिंह, अनूपसिंह आदि ने 0.05 है. में पक्का निर्माण कर रखा है कोई निर्माण दिनांक 22.03.2018 से पूर्व का नहीं है अतः नियमानुसार 41 पेड़ों का अनुमानित अधिकतम मूल्य 10,000/–रूपये भू–राजस्व मद 0029–00–800–12–00 अन्य मद एवं रकबा 0.97 है. भूमि की डी.एल.सी. दर 12,02,707 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर कुल 11,66,626 रूपये की 10 प्रतिशत राशि 1,16,663 रूपये भू–राजस्व मद 0029–00–105–01–00 सरकारी सम्पदाओं की बिक्री में जमा राजकोष किया जाकर दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

वादीगण ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस/कार्यवाही की प्रतियां प्रस्तुत की है जिससे भी साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 176, 177 पर कब्जा वादीगण का है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि वादीगण के द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है। अतः राजस्व (ग्रुप–10/पुनर्वास) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.1(15) राज/पुनर्वास/2009 दिनांक 30.03.12 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः No.-9(79)Rev-6/2011/34 जयपुर, दिनांक 20.11.2017 के अनुसरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार, खेतड़ी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि खसरा 176 रकबा 0.58 है., ख.नं. 177 रकबा 0.39 है. कुल रकबा 0.97 है. बारानी–ए का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। राज्य सरकार को किसी प्रकार की राजस्व हानि ना हो इसलिए बारानी–ए भूमि का नियमानुसार 41 पेड़ों का अनुमानित अधिकतम मूल्य 10,000/–रूपये भू–राजस्व मद 0029–00–800–12–00 अन्य मद एवं रकबा 0.97 है. भूमि की डी.एल.सी. दर 12,02,707 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर कुल 11,66,626 रूपये की 10 प्रतिशत राशि 1,16,663 रूपये भू–राजस्व मद 0029–00–105–01–00 सरकारी सम्पदाओं की बिक्री में जमा राजकोष

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

किया जाने पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। चूंकि प्रकरण में तहसीलदार, खेतड़ी ने नियमितिकरण शुल्क वर्ष 2024 की डीएलसी के अनुसार गणना कर रिपोर्ट भिजवाई है जिससे राजस्व हानि होना संभाव्य है, इसलिए तहसीलदार, खेतड़ी पक्षकारान वादीगण को वादग्रस्त भूमि बाबत नियमितिकरण शुल्क वर्तमान डीएलसी अर्थात् वर्ष 2025 के अनुसार गणना कर उपलब्ध करवायें तदनुसार जो राशि निर्धारित हो वह वादीगण राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवायें।

आदेश

अतः **ग्राम मेहाड़ा जाटूवास** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 176 रकबा 0.58 है. व खसरा नंबर 177 रकबा 0.39 है. कुल रकबा 0.97 है. में वादीगण सं. 1 लगायत 4 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का तथा वादीगण सं. 5 व 6 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि में 41 पेड़ों का अनुमानित अधिकतम मूल्य 10,000/–रूपये भू–राजस्व मद 0029–00–800–12–00 में तथा भूमि कुल रकबा 0.97 है. बारानी–ए का नियमितिकरण शुल्क वर्ष 2025 की डीएलसी के अनुसार कुल राशि की 10 प्रतिशत राशि भू–राजस्व मद 0029–00–105–01–00 सरकारी सम्पदाओं की बिक्री से प्राप्तियां मद में जरिये चालान बैंक में जमा करवाकर चालान की प्रति तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष पेश करें। उक्तानुसार तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/12/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं